न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 101/2024 G.C.M.S. No. 2024/404 दर्ज दिनांक : 27.09.2024

अपीलार्थिगण:

1. रामेश्वरलाल पुत्र पुकाराम जाति कुम्हार उम्र 50 वर्ष निवासी लुणेरा तहसील सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मोतीराम पुत्र श्री कसाराम घांची निवासी ढोला जागीर तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
2. भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 87/2020 बअनवान मोतीराम बनाम रामेश्वरलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.12.2022 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थितः–

1. श्री रामलाल भाटी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 87/2020 बअनवान मोतीराम बनाम रामेश्वरलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.12.2022 प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 02–11–2020 को पेश किया कि प्रार्थी व अन्य दीगर खातेदारान के संयुक्त स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ढोला जागीर, पटवार हल्का ढोला, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ढोला, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली में खसरा नम्बर 218 रकबा 4.17 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम आई हुई स्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 218 पर आने–जाने हेतु रास्ता वर्तमान में राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज नहीं हैं। लेकिन प्रार्थी व अन्य दीगर खातेदार अपनी कृषि भूमि में प्रार्थी की भूमि के पूर्व दिशा में स्थित खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा नम्बर 220 में से अपने आने जाने हेतु रास्ता के रूप में उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं, जो रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि से होकर सीधा गै.मु. सड़क नेशनल हाईवे खसरा नम्बर 221/1263 से मिलता है, जिससे प्रार्थी व अन्य दीगर खातेदार को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपनी भूमि में आने–जाने हेतु कुल 12 फीट चौडाई में रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि आने–जाने हेतु आवश्यकता रहती हैं, जिसका विवरण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व ट्रेस नक्शा में लाल रंग से मार्क ए से बी प्रस्तावित रास्ता अंकित किया गया है। जिस प्रस्तावित रास्ते को प्रार्थी रास्ते के रूप में प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वर्तमान में प्रार्थी व अन्य दीगर खातेदार को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता का उपयोग–उपभोग मे अप्रार्थीगण दखलंदाजी पैदा कर रहे हैं तथा इस अनुसार प्रार्थी द्वारा उपरोक्त स्थान पर ही रास्ते के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी व अन्य दीगर खातेदार की भूमि में आने–जाने हेतु कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं हैं तथा प्रार्थी द्वारा जो रास्ता इस प्रार्थना पत्र में प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया हैं, उससे उपर्युक्त स्थान का विकल्प भी मौजूद नहीं हैं। इस आधार पर प्रार्थी द्वारा उपरोक्त स्थान पर ही राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 को नोटिस जारी किये गये, अपीलान्ट का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजने का इन्द्राज किया एवम् आदेशिका दिनांक 18–10–2022 को यह अंकित किया गया कि अपीलान्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती हैं, पत्रावली वास्ते शेष अप्रार्थी का जवाब हेतु दिनांक 22–11–2022 को पेश हों, दिनांक 22–11–2022 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 सुनी जाकर पत्रावली प्रकरण का निर्णय दिनांक 06–12–2022 तत्पश्चात दिनांक 19–12–2022 को नियत की एवम् दिनांक 19–12–2022 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय इस प्रकार किया कि मौजा ढोला जागीर, पटवार हल्का ढोला, तहसील सुमेरपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 218 रकबा 4.17 हैक्टेयर में आने–जाने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम ढोला जागीर के खसरा नम्बर 220 रकबा 0.3145 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में से रास्ता 4 मीटर चौडाई व 30 मीटर लम्बाई में जिसका कुल क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर अर्थात् 0.0120 हैक्टेयर भूमि जो सलंग्न नजरी नक्शा में बरंग–लाल से दर्शित हैं। प्रस्तावित रास्ता भूमि को इस शर्त पर सार्वजनिक उपयोग हेतु गै. मु. रास्ता घोषित किया जाता है कि उपरोक्त घोषित रास्ता के लिए प्रार्थी नियमानुसार वर्तमान प्रचलित बाजार दर (डीएलसी) के आधार पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मूल्यांकन करके (डीएलसी) की राशि की दो–गुणा राशि अप्रार्थी को भुगतान करावें, तदुपरान्त तहसीलदार सुमेरपुर माफिक आदेश के राजस्व रेकर्ड में घोषित रास्ते कि भूमि को सार्वजनिक उपयोग हेतु बतौर गै. मु. रास्ता दर्ज कर व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करें। नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग माना जायेगा। उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया हैं एवम् केवल मात्र अपीलान्ट के नोटिस को तामिल मानकर अनुपस्थित रहने का इन्द्राज करते हुये एकतरफा कार्यवाही की हैं एवम् उपरोक्त निर्णय एकतरफा पारित किया है। जबकि अपीलान्ट को कभी भी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने केवल मात्र अपने खुद के नाम से ही अपील पेश की हैं, जबकि खसरा नम्बर 218 के खातेदार उम्मेदी बाई पत्नि कसाराम, कमलादेवी भंवरीदेवी पुत्रीयान कसाराम, गुडीया हीना पुत्रीयान गणेशराम भी पक्षकार है परन्तु रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने जानबुझकर अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बताया हैं, इस कारण पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन चलने योग्य नहीं होने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आवेदन में निर्णय पारित किया हैं, जो विधि विरूद्ध होने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिल जैर निरस्तनीय हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से कोई रिपोर्ट तलब नहीं की गई हैं, तहसीलदार ने जबाव पेश किया हैं वह जबाव भी पटवारी हल्का ढोला के हस्ताक्षर से ही हैं एवम् उपरोक्त जबाव में ही नजरी नक्शा बनाकर रिपोर्ट पेश बनाई गई हैं, उपरोक्त रिपोर्ट बनाने से पूर्व तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को कभी भी मौके पर उपस्थित रहने बाबत कोई सूचना नहीं दी हैं, ना ही अपीलान्ट की भूमि की किस्म बाबत कोई रिपोर्ट दी गई हैं, कानून की मंशा अनुसार भी मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा ही तैयार की जाती हैं। परन्तु उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गई हैं। जवाब के रूप में पटवारी व आरआई द्वारा मौका रिपोर्ट बनाई गई हैं, जिसमें पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया गया कि दीगर खातेदारान की मौखिक सहमति व उनके हित को मध्य नजर रखते हुये पेश कर रहा है। जबकि अपीलान्ट को मौका रिपोर्ट बनाये जाते समय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अथवा तहसीलदार/पटवारी द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई एवम् अपीलान्ट द्वारा कोई मौखिक सहमति प्रदान नहीं की गई, ऐसी स्थिति में तैयार की गई रिपोर्ट अपीलान्ट के हक हितों के विरूद्ध होने से अपीलाधीन निर्णय काबिल निरस्तनीय हैं। अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 220 दिनांक 21–04–2016 से कृषि भूमि नहीं होकर आवासीय ईकाई में परिवर्तन की गई भूमि हैं, जिसका संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/संपरिवर्तन/2016 /652–656, दिनांक 21–04–2016 के द्वारा कार्यालय विहित प्राधिकारी कार्यालय तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली द्वारा जारी किया गया हैं, जिसकी पालना में रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 द्वारा अपीलान्ट की भूमि में नामान्तरण संख्या 1818 दिनांक 04–03–2022 को रूपान्तरकरण का आवासीय ईकाई के रूप में नामान्तरण दर्ज किया है। जिसकी जमाबंदी की फोटोप्रति संवत् 2074 से 2077 की सबूत के तौर पर अपील के साथ प्रस्तुत है। जिससे भी यह साबित है कि अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय अपीलान्ट की भूमि कृषि भूमि नहीं होकर आवासीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

ईकाई थी। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा रेकर्ड के विरूद्ध रिपोर्ट बनाते हुये अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की हैं। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 का कभी भी अपीलान्ट की भूमि में से आने–जाने का रास्ता नहीं था एवम् ना ही मौके पर रास्ता है। अपीलान्ट अपनी भूमि का आवासीय ईकाई के रूप में उपयोग कर रहा है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत रखते हुये गलत तथ्यों को आधार बनाते हुये अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया एवम् अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बाले–बाले अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है। इसके अतिरिक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्तर के अधिकारी से मंगवाया जाना कानूनन आवश्यक है। परन्तु उपरोक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाकर पटवारी हल्का एवम् आर.आई. द्वारा तैयार किये गये जबाव को ही रिपोर्ट के रूप में पेश किया है, इस प्रकार उक्त मौका रिपोर्ट विधिविरूद्ध है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय का कभी भी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ हैं, अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की अपीलान्ट को कभी भी कोई जानकारी नहीं थीं, इस कारण अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखा, अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20–09–2024 को हुई, जब पटवारी हल्का ढोला द्वारा अपीलान्ट को फोन कर बताया कि आपकी आवासीय ईकाई में से रास्ता निकालना हैं, इस पर अपीलान्ट पटवारी हल्का ढोला के पास गया, तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–12–2022 की जानकारी हुई, इस पर अपीलान्ट ने दिनांक 20–09–2024 को अपीलाधीन निर्णय से सम्बंधित पत्रावली की मांग की, जो अपीलान्ट को दिनांक 23–09–2024 को प्राप्त हुई एवम् अपील तैयार करवाई। तत्पश्चात उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2022 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 27.09.2024 को प्रस्तुत की गई। जो विलंब से प्रस्तुत है। विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस कभी प्राप्त नहीं हुआ तथा प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की आवासीय ईकाई में संपरिवर्तित भूमि में से बिना किसी विधिक अधिकार के प्रार्थी की गैर–मौजूदगी में अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.09.2024 को हल्का पटवारी द्वारा फोन पर बताने पर हुई। जिसकी प्रार्थी द्वारा नकल आदि लेकर अविलंब अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को रजिस्टर्ड एडी डाक से प्रेषित सम्मन अधीनस्थ न्यायालय को पाने वाला गांव में नहीं रहता है, के अंकन के साथ पुनः प्राप्त हुआ। जो समुचित तामील की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की तामील मानते हुए इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रार्थी की गैर–मौजूदगी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को आदेश पारित करने की तिथि से होना नहीं माना जा सकता। साथ ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रथमदृष्टया यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 220 में से जहां रास्ता स्वीकृत किया गया है, उक्त भूमि तहसीलदार सुमेरपुर के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 651 दिनांक 21.04.2016 द्वारा पहले से ही आवासीय ईकाई में संपरिवर्तित भूमि है। अतः हमारे विनम्र मत में विलंबकाल सद्भाविक, युक्तियुक्त व समुचित होने से स्वीकार योग्य है तथा विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेंट प्रार्थी मोतीराम द्वारा ग्राम ढोला जागीर तहसील सुमेरपुर में स्थित अपनी आराजी खसरा संख्या 218 तक पहुंच के लिए रेस्पोंडेंट अप्रार्थी रामेश्वरलाल के विरूद्ध खसरा संख्या 220 में से आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करने के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2022 द्वारा स्वीकार कर अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 220 रकबा 0.3145 हैक्टेयर भूमि में से 4 मीटर चौड़ा व 30 मीटर लंबा रास्ता स्वीकृत किया गया।

4. पूर्व विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की समुचित तामील नहीं होने के बावजूद अपीलांट के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध भू.अ.नि. ढोला व पटवारी की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांट खातेदार को सूचित नहीं किया गया एवं न ही अपीलांट खातेदार की मौके पर उपस्थिति रही हैं।
6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध खसरा संख्या 218 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी में कुल 6 सहखातेदार है। जिसमें से केवल एक सहखातेदार प्रार्थी मोतीराम द्वारा रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अन्य सहखातेदार प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं हैं।
7. खसरा संख्या 218 व इसके निकटतम स्थित गै.मु. रास्ता के भू–नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 219 के दक्षिण–पश्चिम सीमा के सहारे प्रार्थी की आराजी न्यूनतम दूरी पर स्थित है। लेकिन भू.अ.नि. द्वारा न्यूनतम रकबा व निकटतम दूरी के बिंदु की कोई जांच किए बिना केवल प्रार्थी की मांग अनुरूप खसरा संख्या 220 की दक्षिण–पश्चिम सीमा के सहारे रास्ता प्रस्तावित कर दिया गया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा भी बिना जांच पड़ताल किए हूबहू स्वीकृत कर दिया गया।
8. अपीलांट द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 651 दिनांक 21.04.2016 के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 220 में से 2400 वर्गमीटर भूमि में आवासीय ईकाई में संपरिवर्तित की गई थीं। जिसकी संबंधित जांच अधिकारी भू.अ.नि. ढोला व विचारण न्यायालय द्वारा कोई जांच नहीं कर क्षेत्राधिकार से परे जाकर आवासीय ईकाई में संपरिवर्तित गैर कृषि भूमि में अपीलाधीन आदेश द्वारा रास्ता स्वीकृत किया गया है।
9. उपर्युक्त बिंदुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण एवं धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हुए तथा आवासीय ईकाई में संपरिवर्तित भूमि में से क्षेत्राधिकार से परे जाकर रास्ता स्वीकृत कर देने से अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्ध है। जो पुष्टियोग्य नहीं हैं तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 87/2020 बआनवान मोतीराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

बनाम रामेश्वरलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.12.2022 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner